न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 173/2017 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री बदीया पुत्र श्री रामला भील निवाी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री रमजु पुत्र श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री सुर्या पुत्र श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री हरिया पुत्र श्री रामला भील निवाी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्री वसीया पुत्र श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
7. वक्त पुत्री श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
8. होमली पुत्री श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
9. नुरी पुत्री श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
10. कंकु पुत्री श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
11. कमला पुत्री श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
12. कसनी पुत्री श्री रामला भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री फणिया पिता श्री गोतम भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. शांति पिता गोतम भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. प्रभू पिता श्री गोतम भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्रीमती लाली बेवा गोतम भील निवासी ग्राम गागरवा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)

5. श्रीमान तहसीलदार बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा दिनांक 29–08–2012 प्रकरण सं.05/2012
प्रार्थना पत्र

————

उपस्थित :–1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री डी.के. निगम अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5

————/————

निर्णय **दिनांक 23–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध अपीलान्ट वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम गागरवा में प्रार्थीगण के पिता रामला के भोलेपन का फायदा उठाकर विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट ने भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध विभग की असक्षमता होने के बावजूद खसरा परिशोधन पत्र से रामला की भूमियों में विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज गोतम का त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज करवा लिया, अतएव प्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

विपक्षीगणों ने खण्डन के जवाब व रेकार्ड का अवलोकन कर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–8–2012 को अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–9–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 4 की और से अधिवक्ता श्री डी.के.निगम तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–5 की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण

होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट के वर्तमान में खातेदार होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन खारिज किया है। जबकि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है, कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र में सहमति आधार पर बिना सक्षमता विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज गोतम का नाम दर्ज किया है। प्रथम दृष्टया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना विधिक आधार सिर्फ सहमति से गोतम का जो नाम दर्ज किया है, जिससे सहमति से अधिकारों का सृजन प्रथम दृष्टया नहीं होता एवं तद्नुसार इस स्तर पर सिर्फ राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति रखे जाने तथा न्यायहित में रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमियों का विक्रय हस्तान्तरण कर देने पर विधिक जटिलताऐं उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। तद्नुसार कब्जे बाबत इस स्तर पर निर्णायक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण उपरोक्तानुसार बनने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त अपीलान्ट के पक्ष में रहते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–8–2012 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी को मौजा गागरवा की हाल आराजी नंबर 601, 602 व 603 की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर